फर्द अहकाम नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

मोहन लाल बनाम सरकार-

मुकदमा नम्बर 191/2017

मुकदमा अन्तर्गत धारा 88 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ
29.9.17	प्रार्थी मोहन लाल पुत्र श्योचन्द द्वारा राजस्व अभियान 2017 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार के दौरान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि चक 11 एल.एन.पी. के खाता संख्या 19/55 मुरब्बा नम्बर 15 व 16 में कुल 3318 हैक0 नहरी भूमि अपने पुत्र गौरव जाखड पुत्र मोहनलाल के नाम दिनांक 12.12.2011 को जरिए उपहार दी थी। उक्त समय पुत्र की उम्र कम होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में गौरव जाखड कुदरतीवली माता कौशलय देवी के नाम से अंकन कर दिया गया था। अब गौरव बालिग हो चुका है। अतः कुदरतीवली माता कौशल्या देवी शब्द रिकार्ड से हटाना चाहता है। प्रार्थना पत्र की जांच पटवारी हल्का एवं तहसीलदार से करवाई गई। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया है कि रिकार्ड में गौरव जाखड के नाम के साथ संरक्षक माता का नाम दर्ज है। गौरव अब बालिग हो चुका है। मुताबिक केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली की मार्कशीट गौरव की जन्म तिथि 07.07.1997 है। अतः साक्ष्य अनुसार गौरव बालिग हो चुका है तथा संरक्षक का नाम हटाना चाहता है। तहसीलदार गंगानगर द्वारा जमाबंदी में उक्तानुसार संरक्षक का नाम हटाने की अभिशंषा कर अनुमति चाही है। प्रार्थी की पत्नी तथा गौरव की माता कौशल्या देवी द्वारा 100/-रूपये के स्टाम्प पर हल्फनामा प्रेषित कर के जमाबंदी रिकार्ड में गौरव के नाम के आगे स्वयं का संरक्षक के रूप में अंकित नाम हटाने के लिए निवेदन किया है। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली का अवलोकन कर प्रस्तुत दस्तावेज एवं संरक्षक (माता) शब्द शपथ पत्र के आधार पर जमाबंदी चक 11 एल.एन.पी. खाता संख्या 19/55 में गौरव जाखड पुत्र मोहन लाल के आगे संरक्षक माता कौशल्य देवी पत्नी मोहनलाल हटाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैशलाशुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (यशपाल आहूजा) उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर	392